UPSB010032852020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1, सोनभद्र

उपस्थित– संदीप गुप्ता-II, (H.J.S.) (UP 2636)

विशेष दाण्डिक वाद संख्या–598/2020,

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....अभियोगी

बनाम

अंजू खरे पत्नी शिशिर खरे, निवासिनी इमरती कालोनी, राबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र।

.....अभियुक्ता

मुकदमा अपराध संख्या–11/2019,
धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधि. (संशोधन) 2003
थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद सोनभद्र।

–:निर्णय:–

1. प्रस्तुत विशेष दाण्डिक वाद से सम्बन्धित अपराध में थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद सोनभद्र की पुलिस द्वारा अभियुक्ता अंजू खरे के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–11/2019, अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तत्कालीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1 सोनभद्र द्वारा दिनांक 23.10.2020 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक–25.09.2019 को समय करीब 13.10 बजे मुकदमा वादी फूलचन्द्र सिंह, प्रभारी प्रवर्तन दल, सोनभद्र व उनकी टीम तथा अन्य विद्युत कर्मचारियों द्वारा बहद स्थान थाना क्षेत्र राबर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र की निवासी शिशिर खरे के विद्युत विधा को चेक किया गया, तो परिसर के पास स्थित एल.टी. ट्रांसफार्मर से एक केबल खींचकर बिना संयोजन बिना मीटर के विद्युत उपयोग चोरी से करते हुए पाया गया। परिसर स्वामी द्वारा इस संयोजन का कोई प्रपत्र नहीं दिखाया गया।

3. वादी मुकदमा फूलचन्द्र सिंह, प्रभारी प्रवर्तन दल, सोनभद्र की सूचना के आधार पर थाना एंटीपावर थेफ्ट, जिला सोनभद्र में अभियुक्ता अंजू खरे के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0-11/2019, अंतर्गत धारा-138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 में दिनांक-26.09.2019 को समय 15.59 बजे चिक किता किया गया। जिसकी प्रविष्टि थाने की जी0.डी0 में की गयी है।

4. मामले में विवेचक नियुक्त हुए। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया। सम्बंधित साक्षियों का बयान धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंकित किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्ता अंजू खरे के विरूद्ध धारा-138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5. अभियुक्ता को आहूत किया गया, वह उपस्थित अदालत आया। राज्य की ओर से विद्वान

Digitally signed by Sandeep Gupta
Date: 2026.07.31 15:46:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

अधिवक्ता तथा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दु पर सुनकर दिनांक-16.09.2022 को अभियुक्ता अंजू खरे के विरूद्ध धारा-138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 का आरोप पाते हुए उक्त धारा में आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्ता ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने अभिकथन और अभियुक्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्षी के रूप में बतौर साक्षी पी0 डब्लु0-1 वादी मुकदमा फूलचन्द्र सिंह, पी.डब्लू.-2 अवर अभियंता राज कुमार सोनकर, पी.डब्लू.-3 हे.कां. अशोक कुमार व पी.डब्लू.-4 आनन्द कुमार, कार्यकारी सहायक, विद्युत वितरण खण्ड राबर्टसगंज, सोनभद्र को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में तहरीर **प्रदर्श क-1** व अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत विरण निगम लिमिटेड, राबर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा प्रेषित पत्र का0 सं0-15 क, जिसमें पत्रांक-5536, दिनांकित-23.08.2025 को **प्रदर्श क-2** के रूप में साबित कराया गया है। इसके अलावा अभियोजन प्रपत्र जैसे आरोप पत्र, चिक एफ.आई.आर., कायमी मुकदमा जी0 डी0, नक्शा नजरी की सत्यता को अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है।

8. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत व मौके पर व मौके पर किसी के न होने का कथन किया, साक्षी पी.डब्लू.–1, 2 व 3 के बयानों को गलत होना बताया तथा साक्षी पी.डब्लू.-4 आनन्द कुमार, कार्यकारी सहायक के बयान को बकाया व शमन शुल्क जमा कर रसीद दाखिल कर दिया जाना बताया, मुकदमा झूठा चलाना बताया, सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया तथा अतिरिक्त रूप से कुछ नहीं कहने का कथन किया।

9. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एंव पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

10. अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा फूलचन्द्र सिंह ने बयान में कथन किया है कि दिनांक 25.09.2019 को वह विजलेंस टीम मिर्जापुर में तैनात था। उसी दिन अवर अभियन्ता राज कुमार, आरक्षीगण अशोक कुमार, पंकज कुमार व बृजेश कुमार यादव के साथ पूर्व में विद्युत बकाया संयोजनों की जॉच कर रहे थे। संयोजन संख्या –3120671000 एल 0 एम 0 वी0–1 दो किलो वाट के कनेक्शन धारक शशी खरे पुत्र भगवती प्रसाद निवासी इमरती पोखरा थाना राबर्टसगंज के बकाये पर पूर्व में लाइन काटी गयी थी। किन्तु बिना बकाया जमा किये व विभागीय अनुमति के उपभोक्ता द्वारा पुनः लाइन जोड़ कर उपभोग करते हुये पाया गया था। विवेचना के दौरान शशी खरे की गुमसुदगी दर्ज होना बताया गया, इस आधार पर शशी खरे की पत्नी अन्जू खरे को मौके पर विद्युत उपभोग करते पाये जाने पर अंजू खरे को अभियुक्त बनाया गया है। घटना के सम्बन्ध में उसने थाना एन्टी पावर थेफ्ट में तहरीर दिया था। साक्षी ने तहरीर कागज संख्या 4–क/3 को अपने लेख व हस्ताक्षर में शिनाख्त करते हुये उसे **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है।

11. अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर

से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–2 अवर अभियंता राज कुमार सोनकर ने बयान में कथन किया है कि दिनांक 25.09.2019 को वह विजलेंस टीम के साथ था। उस दिन आरक्षी अशोक कुमार, पंकज कुमार व बृजेश कुमार यादव के साथ बकाया संयोजनों की जॉच की गयी थी। संयोजन संख्या– 3120671000 एल0एम0वी0–1 दो किलो वाट के कनेक्शन धारक शशी खरे पुत्र भगवती प्रसाद निवासी इमरती पोखरा थाना राबर्टसगंज, सोनभद्र की लाइन बकाये पर पूर्व में काटी गयी थी। किन्तु उनके द्वारा बिना बकाया जमा किये व बिना विभागीय अनुमति के विद्युत का उपभोग करते पाया गया था।

12. अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–3 हे.कां. अशोक कुमार ने बयान में कथन किया है कि दिनांक 25.09.2019 को वह विजलेंस टीम के साथ था। उसके साथ उप निरीक्षक फूलचन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता राज कुमार सोनकर, कां0 बृजेश कुमार व कां0 पंकज कुमार भी बकाया संयोजन टीम के जॉच में थे। संयोजन संख्या– 3120671000 एल0एम0वी0–1 दो किलो वाट के कनेक्शन धारक शशी खरे पुत्र भगवती प्रसाद निवासी इमरती पोखरा थाना राबर्टसगंज, सोनभद्र जिनकी लाइन बकाये पर पूर्व में काटी गयी थी, उनके द्वारा बिना बकाया जमा किये व बिना विभागीय अनुमति के विद्युत का उपभोग करते हुये पाया गया था। इस सम्बन्ध में उप निरीक्षक प्रवर्तन दल प्रभारी फूलचन्द्र सिंह द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया है।

13. अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–4 आनन्द कुमार, कार्यकारी सहायक, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, राबर्टसगंज, सोनभद्र ने बयान में कथन किया है कि अभियुक्ता अंजू खरे पत्नी शिशिर उर्फ शशि खरे निवासी इमरती पोखरा के पास, थाना राबर्टसगंज जिला सोनभद्र के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की 138(1)(बी) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज है। अभियुक्ता द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत शमन शुल्क रू0 8,000/– दिनांक 01.06.2026 को, विद्युत बिल रू0 14,000/– दिनांक 09.12.2019 को व रू0 27,000/– दिनांक 14.07.2022 को, रू0 21,000/– दिनांक 12.09.2022 को, रू0 35,000/– दिनांक 20.03.2023 को, रू0 10,000/– दिनांक 07.06.2023 को, रू0 10,000/– दिनांक 13.09.2023 को, रू0 8,000/– दिनांक 18.10.2023 को, रू0 14,432/– दिनांक 08.12.2023 तथा राजस्व निर्धारण रू0 5,767/– दिनांक 01.06.2026 को विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है। उपभोक्ता का विद्युत बिल अद्यतन बकाया शून्य हो गया है। साक्षी ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राबर्टसगंज, सोनभद्र के पत्र दिनांकित 02.06.2026 कागज संख्या 18–क पर अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये उसे **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

14. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में संयोजन संख्या–3120671000 शिशिर खरे के नाम से है। साक्षी पी.डब्लू.–1 के साक्ष्य के अनुसार दौरान विवेचना शिशिर खरे की गुमशुदगी दर्ज होना बताया गया, इस आधार पर शिशिर खरे की पत्नि अंजू खरे को अभियुक्ता बनाया गया है।

15. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता आरती देवी के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0-11/2019, अंतर्गत धारा-138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के तहत थाना एंटीपावर थेफ्ट, जिला सोनभद्र में दिनांक-26.09.2019 को

मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचना के उपरान्त उक्त धारा में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने पर अभियुक्ता के विरूद्ध विशेष दाण्डिक वाद सं0-546/2025 पंजीकृत किया गया। पत्रावली में दाखिल का0 सं0-18 क अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण खण्ड निगम लि0 राबर्टसगंज, सोनभद्र के पत्रांक-4300, दिनांकित-02.06.2026 के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्ता द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत शमन शुल्क रू0 8,000/– दिनांक 01.06.2026 को, विद्युत बिल रू0 14,000/– दिनांक 09.12.2019 को व रू0 27,000/– दिनांक 14.07.2022 को, रू0 21,000/– दिनांक 12.09.2022 को, रू0 35,000/– दिनांक 20.03.2023 को, रू0 10,000/– दिनांक 07.06.2023 को, रू0 10,000/– दिनांक 13.09.2023 को, रू0 8,000/– दिनांक 18.10.2023 को, रू0 14,432/– दिनांक 08.12.2023 तथा राजस्व निर्धारण रू0 5,767/– दिनांक 01.06.2026 को विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है। इनके विरूद्ध कोई बकाया शेष नहीं है। साक्षी पी0 डब्लु-1 आनन्द कुमार, कार्यकारी सहायक विद्युत वितरण खण्ड राबर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा अपने बयान में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राबर्टसगंज सोनभद्र के पत्रांक-4300, दिनांकित-02.06.2026 से साबित होता है कि अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत मामले में बकाया विद्युत बिल तथा शमन शुल्क जमा किया जा चुका है।

16. उपरोक्त विवेचन तथा पत्रावली के अवलोकन से यह साबित होता है कि अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत मामले सम्बंधित विद्युत बकाया धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता अंजू खरे के विरूद्ध लगाये गये आरोप से अभियुक्ता को दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

विशेष दाण्डिक वाद सं0-598/2020, मु0 अ 0 सं0-11/2019, अंतर्गत धारा-138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, अंतर्गत थाना एंटीपावर थेफ्ट के मामले से अभियुक्ता अंजू खरे को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्ता जमानत पर है, उसके जमानतनामें एंव बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक–31.07.2026

(संदीप गुप्ता–II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,
सोनभद्र

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–31.07.2026

(संदीप गुप्ता–II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1,
सोनभद्र